उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या-सं0वि0क0नि05-2115/11-2006-500(85)/2001

लखनऊ दिनांक 30 मई, 2006

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बंध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर में प्रोसैसिंग क्षेत्र में स्थित किसी स्टैन्डर्ड डिजाइन फैक्ट्री के किसी विकासकर्ता या सहविकासकर्ता द्वारा किसी उद्यमी के पक्ष में निष्पादित पट्टे के लिखत पर उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं। स्टाम्प शुल्क में छूट इस शर्त के अध्यधीन होगी कि विकास आयुक्त, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किसी विधिमान्य अनुज्ञापत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए लिखत प्रस्तुत किया जायेगा। विकासकर्ता/सहविकासकर्ता किसी व्यक्ति के पक्ष में भूमि के हस्तान्तरण का विलेख निष्पादित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :- पद ''सहविकासकर्ता'' ''विकासकर्ता'' ''विकास आयुक्त'' ''उद्यमी'' ''अधिसूचना'' ''विशेष आर्थिक परिक्षेत्र'' ''राज्य सरकार'' के अर्थ वही होंगे, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 28 सन् 2005) की धारा 2 के अधीन परिभाषित हैं।

आज्ञा से,

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-सं0वि0क0नि0-5-2115 (1)/ग्यारह-2005-500(85)/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस दिनांक 30 मई, 2006 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 20 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को और 10 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरूण सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-क0नि0-5-2115 (2)/11-2005-500(85)/20031 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, हथकरघा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन गौतमबुद्ध नगर को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें साथ ही कृपया उन्हें कृपया यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि सम्बंधित जनपद के उपनिबन्धकों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- मण्लायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6- जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
7- जिला निबन्धक/अपर जिलाधिकारी(वि/रा) गौतमबुद्ध नगर।
8- शासकीय हस्तातरक, न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
9- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश शासन।
10- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरूण सिंह)
विशेष सचिव

Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitt, Kar Evam Nibandhan Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N.-5 2115/11-2006-500(85)/2001 dated May 30, 2006 for general information.

Notification

Order

No. S.V.K.N.-5 -2115/11-2006-500(85)/2001
Lucknow, Dated May 30, 2006

In exercise of the power under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty on as instrument of lease chargeable under Article 35 of the said Act. of a standard design factory situated in the processing area in the Special Economic Zone , Noida District Gautambudhnagar notified by the Government of India, executed by a Developer or co-developer in favour of an entrepreneur. The remit of stamp duty shall be subject to the condition that the instrument shall be presented for registration alongwith a valid letter of permission issued by the Development Commissioner, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. The developer/co-developer shall not execute a deed of conveyance of land in favour of any person.

Explanation :- The terms "Co-developer", "Developer", "Development Commissioner", "entrepreneur", "notification", "Special Economic Zone", "State Government" shall have the meaning as defined under section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (Act no.28 of 2005).

By order,

(Prabhat Chandra Chaturvedi)
Pramukh Sachiv